


ई-निविदा प्रलेख विभागीय मासिक  
शिविरा पत्रिका के मुद्रण (कागज,  
पॉलीपैक, पता स्टीकर सहित) व  
प्रेषण सम्बन्धी समस्त कार्य


फोन न. 0151-2522238, 2528875

ई-मेल:-shivirasecedubkn@gmail.com



(युकेश व्यास)  
सम्पादक, शिविरा  
माध्यमिक शिक्षा,  
राज, बीकानेर

सदस्य




(अनिल कुमार अग्रवाल)  
वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा  
माध्यमिक शिक्षा,  
राज, बीकानेर

सदस्य



(सवाई सिंह बापरा)  
वरिष्ठ लेखाधिकारी,  
माध्यमिक शिक्षा,  
राज, बीकानेर

सदस्य




(हेमकान्त शर्मा)  
तकनीकी प्रतिनिधि  
अधीक्षक  
राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय  
जयपुर  
सदस्य

सदस्य



(बी.डी. शर्मा)  
वित्तीय सलाहकार,  
माध्यमिक शिक्षा,  
राज, बीकानेर

सदस्य सचिव



(नथमल डिल्ले, IAS)  
निदेशक एवं प्रथम संपादक,  
शिविरा पत्रिका  
माध्यमिक शिक्षा,  
राज, बीकानेर

अध्यक्ष

**कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर**  
क्रमांक/शिविरा/माध्य/प्रकाशन/निविदा/5677(II)/2019/ दिनांक:18.06.2019

**निविदा प्रलेख विभागीय मासिक शिविरा पत्रिका का मुद्रण (कागज सहित) एवं प्रेषण सम्बन्धित कार्य**

निविदा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया	ई निविदा माध्यम से ई-प्रोक्योरमेन्ट <a href="http://eproc.rajasthan.gov.in">http://eproc.rajasthan.gov.in</a>
निविदा जारीकर्ता अधिकारी का नाम	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
प्री-बिड बैठक का दिनांक व समय	दिनांक 21.06.2019 एवं समय: 04:00 बजे
तकनीकी बिड खोलने की दिनांक व समय	दिनांक 01.07.2019 एवं समय: 12:15 बजे


1. निविदा प्रलेख की लागत मूल्य राशि ₹. 1000/-


2. ई-निविदा की प्रोसेसिंग शुल्क राशि ₹. 1000/-

निविदा दाता फर्म/कम्पनी का नाम	
अधिकृत प्रतिनिधि का नाम	
पत्राचार का पता	
मोबाइल न.	टेलिफोन/फैक्स न.
वेबसाइट/ई-मेल:	


अन्य सूचनाएँ:-

1. क्रेता अधिकारी का पत्राचार पता:- निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
2. टेलिफोन न. :- 0151-2522238, 2528875
3. ई-मेल :-shivirasecedubkn@gmail.com











**कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर**  
 क्रमांक/शिविरा/माध्य/प्रकाशन/निविदा/5677(II)/2019/ दिनांक:18.06.2019

**निविदा आमन्त्रण सूचना :- ई-निविदा द्वारा**

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा शिविरा मासिक पत्रिका के मुद्रण (कागज सहित) एवं प्रेषण हेतु निविदा खुली पद्धति (Single Stage) द्वारा दो लिफाफा प्रक्रिया के द्वारा बिना शर्त इच्छुक फर्म/कम्पनी/निविदादाताओं से जो राजस्थान राज्य में पंजीकृत हो तथा जिसकी प्रिन्टिंग इकाई राजस्थान राज्य में होना अनिवार्य है। निविदादाताओं से ई-निविदा माध्यम से निविदा आमन्त्रित की जाती है। ई-निविदा राजकीय ई-प्रोक्थोरमेन्ट की वेबसाइट [www.eproc.rajasthan.gov.in](http://www.eproc.rajasthan.gov.in) (ऑन लाइन) पर आमन्त्रित की जाती है।

कार्य का विवरण	विभागीय मासिक 'शिविरा' पत्रिका का मुद्रण (कागज सहित), प्रेषण, पैकिंग पॉली कवर, स्टाम्प्स, डिस्पेच स्टीकर कार्य हेतु ई-निविदा द्वारा प्रस्ताव आमन्त्रित।
निविदा प्रलेख का मूल्य	राशि ₹ 1000/- जो निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के पक्ष में डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत करना होगा। जिसका भुगतान बीकानेर स्थित बैंक में देय होना अनिवार्य हो।
प्रोसेसिंग शुल्क	राशि ₹ 1000/- जो प्रबन्ध निदेशक, आर आई एस एल, जयपुर के पक्ष में डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत करना होगा जिसका भुगतान जयपुर स्थित बैंक में देय होना अनिवार्य हो।
कार्य की कुल अनुमानित लागत	राशि ₹ 72.00 लाख (बहत्तर लाख ₹. मात्र)
शिविरा पत्रिका की प्रति माह अनुमानित संख्या	25000 पत्रिकाएँ मासिक
अमानत राशि (अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत)	राशि ₹ 1,44,000/- (एक लाख चौवालिस हजार रूपये मात्र)

*(Handwritten signatures and initials)*

## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक / शिविरा / माध्य / प्रकाशन / निविदा / 5677(II) / 2019 / दिनांक: 18.06.2019

ई-निविदा प्रकाशन की दिनांक व समय	दिनांक 19.06.2019 समय: 11:00 बजे
ई-निविदा डाउनलोड प्रारम्भ करने का दिनांक व समय	दिनांक 19.06.2019 समय: 11:00 बजे
प्री-बिड बैठक का दिनांक, समय व स्थान	दिनांक 21.06.2019 समय: 04:00 बजे स्थान : निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राज.बीकानेर
ई-बिड submission प्रारम्भ करने की तिथि एवं समय	दिनांक 19.06.2019 समय: 11:00 बजे
ई-बिड प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक व समय	दिनांक 01.07.2019 समय: 11:00 बजे
सम्पल पत्रिका, कागज व पॉलीकवर प्रस्तुत करने की तिथि, समय व स्थान	दिनांक 01.07.2019 समय: 11:00 बजे कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
डिमाण्ड ड्राफ्ट निविदा प्रलेख, प्रोसेसिंग शुल्क व अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रस्तुत करने की दिनांक व समय	दिनांक 01.07.2019 समय: 11:00 बजे
तकनीकी बिड खोलने की दिनांक व समय	दिनांक 01.07.2019 समय: 12:15 बजे
वित्तीय बिड खोलने की दिनांक व समय	तकनीकी बिड के मूल्यांकन में सफल निविदादाताओं को पृथक से सूचित किया जाएगा।
ई-निविदा प्रलेख, संशोधन डाउनलोड करने की विभागीय वेबसाइट	<a href="http://rajshiksha.gov.in">http://rajshiksha.gov.in</a> <a href="http://eproc.rajasthan.gov.in">http://eproc.rajasthan.gov.in</a>
ई-निविदा व धरोहर राशि की वैधता अवधि	ई-निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक से 120 दिवस की होनी अनिवार्य है।
शिविरा पत्रिका प्रति माह मुद्रण व प्रेषण करने की अंतिम दिनांक	प्रत्येक माह की 05 तारीख तक (विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई मुद्रण सामग्री व सूची के अनुसार) होना अनिवार्य है।
अनुबन्ध अवधि	सफल निविदादाता को कार्य आदेश जारी करने की दिनांक से 2 वर्ष तक प्रभावी होगा। पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 के



# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक/शिविरा/माध्य/प्रकाशन/निविदा/5677(II)/2019/ दिनांक:18.06.2019

	प्रावधान अनुसार अनुबन्ध अवधि मे वृद्धि हेतु निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर फर्म की सहमति के आधार पर सक्षम अधिकारी होंगे।
ई-निविदा को निरस्त करने हेतु सक्षम अधिकारी	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

ई-निविदा की अंकित शर्तों के अनुसार निविदादाताओं को वांछित कागज सेम्पल फर्म द्वारा मुद्रित पत्रिकाएँ निविदा प्रलेख, प्रोसेसिंग शुल्क व अमानत राशि के मूल डिमाण्ड ड्राफ्ट दिनांक दिनांक 01.07.2019 समय 11:00 बजे पर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य है। ई-निविदा प्रलेख शुल्क राशि ₹ 1000/- का व धरोहर राशि ₹ 1,44,000/- (रुपये एक लाख चौवालिस हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के पक्ष में जारी होना अनिवार्य है। प्रोसेसिंग चार्ज का डिमाण्ड ड्राफ्ट राशि ₹ 1000/- का प्रबन्ध निदेशक, आर आई एस एल, जयपुर के पक्ष में जारी होना अनिवार्य है जो जयपुर में भुगतान योग्य है। सेम्पल के अभाव में तकनीकी बिड नहीं खोली जाएगी। वांछित सेम्पल पत्रिका, कागज व पॉलीकवर मय पते के स्टीकर के साथ निर्धारित दिनांक को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रस्तुत कागज के सम्बन्ध में GSM के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र अधिकृत एजेन्सी द्वारा जारी संलग्न करना अनिवार्य है।

निदेशक एवं प्रधान संपादक, शिविरा  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

5  
शिविरा  
BSG

शिविरा  
BSG

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक/शिविरा/माध्य/प्रकाशन/निविदा/5677(II)/2019/ दिनांक:18.06.2019

## तकनीकी बिड हेतु निर्धारित मापदण्ड(i)

मासिक शिविरा पत्रिका के मुद्रण (कागज सहित) एवं प्रेषण आदि समस्त कार्यो हेतु ई-निविदा में भाग लेने वाले इच्छुक कम्पनियों व फर्मो को नमूने के रूप में कागज, पॉलीपैक, प्रिन्टिंग पत्रिका निविदा की अंतिम तिथि को डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य है। नमूने (सेम्पल) के रूप में कागज इत्यादि प्रस्तुत नहीं किए जाने पर फर्म द्वारा प्रस्तुत ई-बिड प्रस्ताव मान्य नहीं होंगे।

सेम्पल निम्नानुसार प्रस्तुत करें (व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करें):-

क्र.सं.	कार्य / सामग्री	मासिक शिविरा पत्रिका
01	सेम्पल पत्रिका संख्या	10 नग
02	पृष्ठ संख्या (सामान्यतया) नमूना पत्रिका	48 पृष्ठ टैक्स्ट + 4 पृष्ठ कवर (लेमिनेटेड रंगीन) (70 GSM ) (110 GSM )
03	पत्रिका का साइज	साइज 11" x 8.5"
04	कवर पेपर (4 कलर मुद्रण) प्रति 4 पृष्ठ एक इकाई फोटो स्कैनिंग (पोजिटिव द्वारा)	110 GSM आर्ट पेपर
05	टेक्स्ट पेपर (1 कलर मुद्रण)	70 GSM(मैपलिथो)
06	कवर लेमिनेशन (4 पृष्ठ प्रति इकाई)	गरवारे फिल्म/BOPT फिल्म (स्टैण्डर्ड)110 GSM
07	प्रिन्टिंग	हिन्दी व अंग्रेजी भाषा (वेव/ऑफसेट व पी.एस. प्लेट द्वारा)
08	फॉट साइज (रनिंग मीटर हेतु)	10-13
09	बाइंडिंग	सेण्टर स्टिचिंग (22 गेज तार की 2 सेंटर स्टिच)
10	प्रेषण	नमूने के अनुसार पत्रिका के आकार के पूर्ण पॉलीपैक लगाने,पता चिपकाने एवं डाक टिकट चिपकाकर डाकघर पहुँचाने का कार्य
11	पॉलीपैक कवर :-	नमूना प्रस्तुत करें (पत्रिका साइज अनुसार)
12	पते का स्टीकर :-	नमूना प्रस्तुत करें (पॉलीपैक पर लगवाने हेतु)

नोट:- सेम्पल के रूप में प्रस्तुत 10 पत्रिकाओं को पॉलीपैक कवर, स्टीकर के साथ में प्रस्तुत करें तथा प्रस्तुत कागज के जी.एस.एम सम्बन्धी अधिकृत टेस्टिंग लेब से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

6  
B. S. G. T.


# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक/शिविरा/माध्य/प्रकाशन/निविदा/5677(II)/2019/ दिनांक:18.06.2019

## तकनीकी बिड हेतु निर्धारित माप दण्ड(Online E-Bid)(ii)

S.No	Basic Requirement	Specific Requirements	Documents Required
01	वेव-1/ऑटोमेटिक ऑफसेट मुद्रण मशीन-2 (23"x36")-1 +(19"x23")-1	निविदादाता के पास कम स. 01 से 07 तक अंकित मशीन/उपकरण आधुनिक किस्म एवं उत्तम कार्य स्थिति में होना अनिवार्य है। जो पत्रिका प्रकाशन के गुणवत्तापूर्ण कार्य के लिए पूर्णतः उपयुक्त हो।	निविदादाता द्वारा इस आशय का शपथ पत्र एवं कय सम्बन्धी बिल/भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है।
02	कम्प्यूटर-03 नग	क्रम सं 02 से 05 तक पर वर्णित मशीन/उपकरणों की संख्या के स्थान पर एक सी.टी.पी. यूनिट हो तो भी स्वीकार्य है।	
03	लेजर प्रिण्टर-03 नग		
04	स्कैनर-03 नग		
05	एक्सपोजर-03 नग		
06	पेपर कटिंग मशीन		
07	स्टिचिंग मशीन		
08	टाइपिंग/कम्पोजिंग-05 कार्मिक		
09	प्रूफ रीडिंग-05 कार्मिक		
10	एडिटिंग-05 कार्मिक		
11	डिजाइनिंग-05 कार्मिक		
12	बाइंडिंग-05 कार्मिक		
13	डाक द्वारा प्रेषण-05 कार्मिक		
14	निविदादाता फर्म का वार्षिक टर्नओवर	फर्म/कम्पनी का वार्षिक औसत टर्नओवर गत तीन वित्तीय वर्ष 2016-17 व 2017-18, 2018-19 का राशि ₹ एक करोड़ का होना अनिवार्य है।	चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित वार्षिक लेखे व प्रस्तुत आयकर विवरणिका प्रस्तुत करें।

7


*(Handwritten signatures and marks)*

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर


क्रमांक/शिविरा/माध्य/प्रकाशन/निविदा/5677(II)/2019/ दिनांक:18.06.2019

15	पंजीयन	फर्म का मुद्रण कार्य हेतु राजस्थान राज्य के अधिकृत विभाग में पंजीयन वर्ष 2015 से पूर्व का होना अनिवार्य है।	राजस्थान सरकार के सम्बन्धित विभाग द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
16	नेटवर्थ	फर्म की नेटवर्थ गत 03 वर्षों की सकारात्मक होना अनिवार्य है।	बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा बैंक लेन-देन के आधार पर जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
17	न्यूनतम दर पर कार्य करने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र	निविदादाता द्वारा प्रस्तुत की गई दरें राजस्थान राज्य में फर्म को प्राप्त होने वाले कार्य आदेशों से अधिक नहीं प्रस्तुत करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।	निविदादाता द्वारा स्व प्रमाणित अन्डर टेकिंग प्रस्तुत करें।
18	ब्लेक लिस्टिंग	निविदादाता को किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी/निगम/बोर्ड द्वारा ब्लेक लिस्ट नहीं करने सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।	निविदादाता द्वारा स्व प्रमाणित अन्डर टेकिंग प्रस्तुत करें।
19	आयकर, वेट व सर्विस टैक्स अदेयता  IT/GST/Ser.T	निविदादाता को सम्बन्धित विभाग द्वारा जारी कर निर्धारण प्रमाण पत्र वर्ष 2017-18 का प्रस्तुत करना अनिवार्य है। फर्म द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के सम्बन्ध में अंतिम त्रैमासिक प्रस्तुत रिटर्न का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।	सम्बन्धित विभागों में प्रस्तुत रिटर्न की प्रमाणित प्रतियाँ प्रस्तुत करें।
20	वित्तीय स्रोत	निविदादाता के पास जमा पूंजी व बैंक बैलेंस सम्बन्धी प्रमाण पत्र।	चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
21	अनुभव	गत दो वित्तीय वर्षों में निविदा कार्य सम्बन्धी/समान प्रकृति का कार्य करने का अनुभव सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों/निजी एजेंसियों का कम से कम 20 लाख ₹. प्रतिवर्ष होना अनिवार्य है।	सम्बन्धित विभाग के कार्य आदेश जारी, अधिकारी से जारी कार्य आदेश व कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र संलग्न करें।

निविदादाता के हस्ताक्षर

8  
  
 B. N. S.


 S. N.



**कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर**  
क्रमांक/शिविरा/माध्य/प्रकाशन/निविदा/5677(II)/2019/ दिनांक:18.06.2019

**वित्तीय ई-बिड**

**निविदा प्रलेख मासिक विभागीय शिविरा पत्रिका का मुद्रण (कागज सहित) एवं प्रेषण सम्बन्धित कार्य**

1. क्रेता अधिकारी का नाम व पता:- निदेशक ,माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

**निविदादाता से संबंधित सूचना**

- 1- फर्म का नाम :.....  
2- फर्म के स्वत्व अधिकारी का नाम : .....  
.....  
3- फर्म का पता .....  
.....  
4-दूरभाष नं. कार्यालय(STD Code) : ..... निवास : .....  
.....  
5-फैक्स नं.: .....E-mail ID.....  
.....

2. : शिविरा पत्रिका (मासिक) मुद्रण(कागज सहित) एवं प्रेषण, पैकिंग पॉलीपैक, स्टाम्प, पते का स्टीकर कार्य हेतु प्रति कॉपी दर समस्त करों व अन्य समस्त खर्चों सहित :-

कार्य का विवरण	दर प्रति कॉपी समस्त करों सहित ₹ में (अंकों में)	दर प्रति कॉपी समस्त करों सहित ₹ में (शब्दों में)
प्रति पत्रिका दर कुल 52 पृष्ठ (48 पृष्ठ 70 GSM + 4 पृष्ठ लेमिनेटेड - रंगीन कवर 110 GSM)		

निविदादाता के हस्ताक्षर

9     

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक/शिविरा/माध्य/प्रकाशन/निविदा/5677(II)/2019/ दिनांक:18.06.2019

## ई-निविदा की शर्तें व नियम

धरोहर राशि, प्रतिभूति राशि :-

(1)निर्धारित दिनांक को ई-प्रलेख में अंकित अमानत राशि ₹ 1,44,000/- (एक लाख चौवलिस हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पक्ष में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। डिमाण्ड ड्राफ्ट किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी होना अनिवार्य है धरोहर राशि के बिना ई-निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

(2) ई-निविदा द्वारा प्राप्त वित्तीय प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने व न्यूनतम दर दाता को कार्य आदेश जारी होने के पश्चात असफल निविदादाताओं की जमा अमानत राशि यथाशीघ्र वापिस कर दी जावेगी जिस पर ब्याज देय नहीं होगा।

(3) सफल निविदादाता को न्यूनतम दर स्वीकृति का आदेश पत्र जारी होने के 7 दिवस में निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध निष्पादित करना होगा। कार्य आदेश राशि के 5 प्रतिशत की दर से प्रतिभूति राशि(Security Deposit) बैंक गारन्टी के रूप में जमा करवाना होगा। बैंक गारन्टी राजस्थान राज्य में स्थित राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के पक्ष में जारी होना अनिवार्य है। जिसका भुगतान क्रय अधिकारी की मांग पर जयपुर/बीकानेर की किसी शाखा पर भुगतान योग्य होना अनिवार्य है। प्रस्तुत बैंक गारन्टी की वैधता अवधि बैंक गारन्टी जारी दिनांक से 27 माह होना अनिवार्य है। अनुबंध अवधि के बीच में बैंक गारन्टी समाप्त होने की स्थिति में समय रहते अवधि बढ़ाकर प्रस्तुत करनी होगी एव बैंक गारन्टी राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा बैंक गारन्टी के जारी करने सम्बन्धी शुल्क/चार्ज निविदादाता को वहन करने होंगे।

(4)निविदादाता निर्धारित समयावधि में प्रतिभूति राशि जमा कराने या कालावधि में करार निष्पादित करने में विफल रहता है तो इस प्रकार विफल रहने को निबन्धनों और शर्तों का भंग होना माना जावेगा तथा प्रतिभूति राशि विभाग द्वारा जब्त कर ली जाएगी।

(5)निबन्धनों तथा शर्तों को भंग करने या सविदा को असन्तोषप्रद रूप से पूर्ण करने पर अमानत राशि विभाग द्वारा पूर्णतया या अंशतः जब्त कर ली जायेगी, इस सम्बन्ध में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर का निर्णय अंतिम होगा।

(6) पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित इकाइयों/उद्योगों को प्रतिभूति राशि में नियमानुसार छूट देय है।

(7)अमानत राशि/प्रतिभूति राशि पर विप्रेषण व्यय(रेमिटेंस चार्ज) निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा।

(8) निविदादाता को सम्बन्धित वाणिज्यिक कर अधिकारी से जीएसटी पंजीकरण प्रमाण-पत्र निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है।

(9)निविदादाता फर्म के मुद्रणालय का सत्यापन व निरीक्षण विभाग के उच्चाधिकारी द्वारा किया जाएगा। निरीक्षण में सुविधाओं और साधनों के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों संबंधी सूचना असत्य पाई जाने पर क्रेता अधिकारी को अनुबन्ध समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा निविदादाता की जोखिम पर शेष कार्य करवाने हेतु स्वतंत्र होंगे।

(10)विभाग कभी भी प्रयुक्त किए जाने वाले कागज एवं प्लेट्स की जांच अनुमोदित प्रयोगशाला से करा सकता है। जांच में निर्धारित विशिष्टताओं में किसी भी प्रकार की कमी पाई जाने पर फर्म का कार्य के पेटे आंशिक अनुबन्ध निरस्त करने हेतु कार्यवाही की जाएगी। भुगतान की गई सम्पूर्ण राशि निविदादाता से वसूल की जाएगी।



# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक/शिविरा/माध्य/प्रकाशन/निविदा/5677(II)/2019/ दिनांक:18.06.2019

- (11) पत्रिका में सार संक्षेप, आदेश, परिपत्र आदि भी छापे जा सकेंगे। समस्त ऐसे अतिरिक्त कार्य करवाने पर पत्रिका के नियमित प्रकाशन एवं मुद्रण की निर्धारित तिथि पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए अर्थात् पत्रिका के नियमित प्रकाशन एवं वितरण आदि कार्यों के साथ साथ अन्य निर्धारित कार्य भी निर्धारित समय पर करने होंगे।
- (12) अनुबन्ध अवधि में किसी प्रकार की दरों/करों व अन्य वृद्धि होने पर विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय भार वहन नहीं किया जावेगा उक्त अवधि में करों की दरों में कमी होने की स्थिति में निविदादाता को कम दरों के अनुसार भुगतान देय होगा।
- (13) निविदादाता को कागज की अग्रिम व्यवस्था बनाए रखनी होगी।
- (14) मासिक पत्रिका के सामान्यतया वर्ष में 11 अंक ही प्रकाशित होंगे। ग्रीष्मावकाश के कारण मई में प्रकाशित होने वाला अंक ही संयुक्तांक प्रकाशित होता है। विभाग अपरिहार्य परिस्थितियों में इस अवधि में भी प्रकाशन करवा सकता है।
- (15) विभागीय पत्रिका में अतिरिक्त ग्रेस्केल/ब्लैक एण्ड व्हाइट/ 4 कलर पृष्ठ चयनित अंकों में जोड़े जा सकेंगे। इन पर फोटो या टाइपिंग का कार्य लिया जा सकेगा। आवश्यकता पड़ने पर किन्हीं अंकों में कवर भी ग्रेस्केल या ब्लैक एण्ड व्हाइट हो सकेंगे। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त कलर्ड पृष्ठ में से ग्रेस्केल की राशि घटाकर तदनुरूप कटौती की जा सकेगी।

## कम्पोजिंग—

- (1) पाण्डुलिपि एक साथ न दी जाकर टुकड़ों में दी जाएगी जो हस्तलिखित भी हो सकेगी। पाण्डुलिपि की कम्पोजिंग 3 दिवस में प्रूफ रीडिंग देनी होगी। हिन्दी व अंग्रेजी की कम्पोजिंग आवश्यकतानुसार अलग-अलग पृष्ठों पर की जाएगी। कम्पोजिंग/प्रूफ रीडिंग का कार्य बीकानेर में/ई-मेल माध्यम से क्रेता अधिकारी के निर्देशानुसार करना होगा।
- (2) प्रूफ रीडिंग का पूरा उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा। मुद्रण में वर्तनी व मुद्रण संबंधी त्रुटि पाई जाने पर बिल/प्रतिभूति राशि में से कटौती की जाएगी और अधिक त्रुटि होने पर भुगतान रोकते हुए निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
- (3) प्रेषण सम्बन्धी समस्त पते प्रतिमाह (परिवर्तित ग्राहक अनुसार) बीकानेर से प्राप्त करना निविदादाता का कार्य होगा।

## मुद्रण :-

- (1) आवरण पृष्ठ एक अथवा अधिक रंगों में वरिष्ठ सम्पादक के निर्देश के अनुसार मुद्रित किए जाएँगे। मुद्रण कार्य में उत्तम कोटि की मानक स्याही का उपयोग किया जाएगा। डिजाइन के अनुसार मुखावरण व अंतिमावरण मुद्रण से पूर्व रंग योजना व डिजाइन के चयन के लिए नमूने के बतौर, कम से कम अलग-अलग तीन शेड/प्रकार के प्रूफ देने होंगे। मुद्रक को तीन माह के लिए अग्रिम रूप से कवर डिजाइन अनुमोदनार्थ प्रेषित करना होगा। कम्पोजिंग, मुद्रण और बाइंडिंग के प्रत्येक चरण पर वरिष्ठ सम्पादक के निर्देशानुसार सुन्दरता का पूर्ण ध्यान रखना जरूरी होगा। मुखावरण, आवरण पृष्ठों तथा भीतर के टेक्स्ट/आर्ट पृष्ठों पर छपने वाले फोटोग्राफ का पूर्णतः स्पष्ट व गुणवत्तापूर्ण होना आवश्यक होगा। फोटो के स्रोत इंटरनेट, स्केन्ड, सॉफ्टकॉपी सी.डी. आदि भी हो सकेंगे।
- (2) मुद्रण की गुणवत्ता राष्ट्रीय स्तर की किन्हीं तीन सर्वाधिक विक्रय वाली पत्रिकाओं से न्यूनतम नहीं होनी चाहिए।



# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक/शिविरा/माध्य/प्रकाशन/निविदा/5677(II)/2019/ दिनांक:18.06.2019

- (3) कवर पेज लैमिनेटेड रहेंगे।
- (4) आदेश, परिपत्र, नियम आदि को पृथक् से रंगीन कागज पर भी मुद्रित करने के आदेश दिए जा सकेंगे। सामान्यतया इनसे संबंधित पृष्ठ बीच में रखे जाएँगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसे पत्रिका से अलग भी किया जा सकें।
- (5) पत्रिका में प्रकाशित कुछ सूचनाओं या तालिकाओं को दण्ड, आरेख या वृत्तचित्र के रूप में भी प्रदर्शित किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में निविदादाता के पास उपयुक्त कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर और डिजाइनर भी आवश्यक होने चाहिए।
- (6) मुद्रण संख्या अनुमानित है, जिसमें कमी या वृद्धि की जा सकेगी। प्रतिमाह मुद्रण आदेश के अनुसार ही प्रतियाँ छापी जानी होंगी। मुद्रण व प्रेषण कार्य प्रत्येक माह की 5 तारीख तक पूर्ण होना अनिवार्य है। विलम्ब की स्थिति में नियमानुसार शास्ति राशि की वसूली जाएगी।
- (7) मुद्रण में वर्तनी, प्रिण्टिंग, बाइंडिंग आदि में किसी भी प्रकार की त्रुटि और निविदानुसार स्वीकृत कागज के अलावा अन्य कागज प्रयुक्त करने पर दण्ड की राशि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा निर्धारित की जाकर बिल/प्रतिभूति राशि में से कटौती कर वसूली की जाएगी।
- (8) मुद्रण आदेश में वृद्धि पर अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में प्रतिमाह 5 तारीख तक पत्रिका प्रेषण की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। मुद्रण आदेश, प्रेषण संख्या बढ़ने की स्थिति में निविदा की दरें एवं अन्य शर्तें अप्रभावित रहेगी।
- (9) मुद्रण गुणवत्तापूर्ण नहीं होने पर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभाग मशीन पर छपने वाले वास्तविक मेटर के इम्प्रेशन का प्रूफ प्रस्तुत कर उसका अनुमोदन करवाये जाने का निर्देश दे सकेगा जो निविदादाता के लिए बाध्यकारी होगा।

## प्रेषण -

- (1) शिविरा पत्रिकाओं को पॉलीपैक कवर लगाए जाएँगे, जिनका नमूना निविदादाता द्वारा बिड प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक से पूर्व जमा करवाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से मुद्रित पत्रिका का प्रेषण डाक विभाग को किया जाना अनिवार्य है। अवकाश की स्थिति में एक दिन पूर्ण प्रेषण करना होगा। अतः पत्रिका की प्रिण्टिंग, बाइंडिंग प्रेषण तिथि से पाँच दिवस पूर्व समाप्त हो जानी चाहिए जिससे पॉलीपैक कवर, एड्रेसिंग व पैकिंग आदि करके उसके जिलेवार बंडल बनाने का काम समय पर हो सके। विभागीय प्रतिनिधि/कमेटी द्वारा प्रेषण से एक दिन पूर्व भौतिक रूप से निरीक्षण किया जाएगा। निर्धारित तिथि को प्रेषण न किए जाने की स्थिति में निर्धारित रियायती दर से अतिरिक्त डाक व्यय का समस्त प्रभार/व्यय निविदाकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- (2) निविदा की शर्तों के अनुसार प्रत्येक माह के 05 तारीख तक समस्त मुद्रित पत्रिकाओं को डाकघर में भिजवाया जाना अनिवार्य है। निर्धारित अवधि के पश्चात पत्रिकाओं को प्रेषण किए जाने की स्थिति में विलम्ब अवधि हेतु फर्म उत्तरदायी होगी तथा फर्म के द्वारा प्रस्तुत मासिक बिल की राशि में से विलम्ब अवधि में प्रेषण की गई पत्रिकाओं की संख्या के मूल्य के अनुसार निम्नानुसार परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति (लिविडेटेड डैमेजेज) के रूप में कटौती की जाएगी:-



# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक/शिविरा/माध्य/प्रकाशन/निविदा/5677(II)/2019/ दिनांक:18.06.2019

- (1) 3 दिन तक विलम्ब होने पर 2.5 प्रतिशत ।
  - (2) 5 दिन तक विलम्ब होने पर 5 प्रतिशत ।
  - (3) 8 दिन से अधिक विलम्ब होने पर 7.5 प्रतिशत ।
  - (4) 10 दिन तथा अधिक विलम्ब होने पर 10 प्रतिशत ।
- (3) शिविरा पत्रिका ऑन-लाइन पत्रिका भी है अतः पत्रिका को ऑनलाइन किए जाने संबंधी फॉर्मेट में सी.डी. तैयार कर निविदादाता को प्रेषण से पूर्व उपलब्ध करवानी होगी। इस हेतु किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया जाएगा। यह सी.डी. डाक प्रेषण से पहले उपलब्ध करवानी होगी।
- (4) पत्रिकाओं के प्रेषण हेतु प्राप्त कार्यालयों/संस्थाओं व व्यक्तियों के नाम, पते व मोबाईल न. विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे। प्रेषण कार्य में शुद्धता का दायित्व निविदादाता का होगा। पत्रिका को निर्धारित डाकघर तक जिलेवार बण्डलों की पैकिंग कर सुरक्षित रूप से पहुँचाने का कार्य निविदादाता का होगा।
- (5) निविदादाता को प्रेषण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सूचना तीन दिवस में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को देनी अनिवार्य है। निदेशक द्वारा गठित कमेटी के सत्यापन के पश्चात ही पत्रिकाएँ डाकघर में भेजनी होगी। कमेटी को मुद्रण व प्रेषण सत्यापन की रिपोर्ट निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के समक्ष 2 दिवस में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

## विलम्ब-

- (1) यदि निविदादाता मुद्रण कार्य निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार सम्पादित नहीं करता है तो विभाग को यह अधिकार होगा कि वह निविदादाता को सूचना दिए बिना निविदादाता की जोखिम पर उक्त कार्य या उसके किसी भाग को, जिसे निविदादाता ने सम्पादित नहीं किया है, अन्य कहीं से भी सम्पादित करा ले। उक्त कारणों से विभाग को होने वाली हानि या नुकसान का दायित्व निविदादाता पर होगा। ऐसी हानि या नुकसान की वसूली निविदादाता को सरकार के साथ की गई या अन्य किसी संविदा के अधीन राशि में से वसूल की जाएगी।
- (2) निविदा/कार्य आदेश को किसी भी समय निविदादाता को बिना सूचना दिए निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा निरस्त किया जा सकता है।
- (3) यदि संविदा में वर्णित कोई भी कार्य निम्न स्तर (सब स्टैंडर्ड) पाया जाता है तो विभाग स्वविवेक से इसे स्वीकार/अस्वीकार/शास्ति आरोपित की जा सकेगी।

## भुगतान -

- (1) फर्म को भुगतान प्रत्येक माह में जी एस टी प्रावधानों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर जारी कार्य आदेश की शर्तों के अधीन देय होगा।
- (2) फर्म को भुगतान मासिक आधार पर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा कोष कार्यालय, बीकानेर के माध्यम से ई सी एस पद्धति से किया जाएगा।
- (3) फर्म के प्रस्तुत बिल में से नियमों अनुसार समस्त वैधानिक कटौती प्रचलित दरों के अनुसार की जाएगी।



## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक/शिविरा/माध्य/प्रकाशन/निविदा/5677(II)/2019/ दिनांक:18.06.2019

- (4) फर्म को प्रत्येक माह में प्रस्तुत बिल के साथ निदेशालय द्वारा गठित कमेटी की मुद्रण व प्रेषण कार्य को सन्तोषजनक व निविदा की शर्तों के अनुसार सम्पन्न करने की रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- (5) फर्म को प्रत्येक माह में प्रस्तुत बिल के साथ प्रेषण कार्य हेतु क्रय किए गए डाक टिकिट का क्रय हेतु भुगतान राशि का चालान बैंक प्राप्त करना लेखा सम्बन्धित पोस्टमास्टर से प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- (6) फर्म द्वारा प्रेषण की गई मासिक पत्रिकाओं के अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण प्रेषण पता/अन्य किसी त्रुटि के कारण सम्बन्धित कार्यालय/संस्था/व्यक्ति को प्राप्त नहीं होने के कारण निविदा की शर्तों के अनुसार राशि वसूली सम्बन्धित माह के बिल में से की जाएगी।
- (7) विभाग द्वारा प्रदत्त पाण्डुलिपि, प्लेट, चित्र, फोटो आदि मुद्रण के तत्काल पश्चात् विभाग को लौटाने होंगे। इनके अभाव में उस माह के बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- (8) निविदा की शर्तों के सम्बन्ध में विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र बीकानेर स्थित न्यायालय होगा।
- (9) फर्म के द्वारा मुद्रण व प्रेषण किए गए कार्य सत्यापन प्रमाण-पत्र निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा अधिकृत कमेटी/अधिकारी द्वारा प्रति माह किया जाना अनिवार्य है।
- (10) सफल निविदादाता को निर्धारित पृष्ठ संख्या से अधिक पृष्ठों पर प्रिंटिंग कार्य करवाने की स्थिति में अधिक पृष्ठों का भुगतान स्वीकृत दर के आधार पर आनुपातिक दर से देय होगा।

### निविदा की अन्य शर्तें

- (1) निविदा कार्य की अवधि जारी कार्य आदेश से दो वर्ष (जुलाई, 2019 से जून, 2021) होगी। निविदा अवधि को राज्यहित में घटाने/बढ़ाने का पूर्ण अधिकार निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को होगा।
- (2) निविदा ई-प्रोक (<http://eproc.rajasthan.gov.in>) पर ऑन-लाईन प्रस्तुत करनी होगी। ई-निविदा के माध्यम से प्राप्त फर्मों के तकनीकी प्रस्तावों व नमूने के रूप में प्रस्तुत किए गए सैम्पल के आधार पर निविदा शर्तों के अनुसार तकनीकी प्रस्ताव क्रय समिति द्वारा जाँच व मूल्यांकन किया जाएगा। तथा जिन निविदादाताओं के तकनीकी सैम्पल शर्तों के अनुसार सही पाए जाएँगे उन्हें सफल घोषित किया जाएगा। तथा तकनीकी प्रस्ताव में सफल निविदादाताओं के वित्तीय प्रस्ताव ही खोले जाएँगे जिसकी सूचना सम्बन्धित वेबसाइट पर अपलोड पृथक से की जाएगी।
- (3) ई-निविदा के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों की वैधता अवधि प्रस्ताव प्राप्त होने की दिनांक से 120 दिवस तक वैध होगी।
- (4) निविदा शर्तों में से किसी भी शर्त की पूर्ति नहीं होने पर निविदा स्वतः ही निरस्त मान ली जाएगी।
- (5) विभागीय क्रय समिति निविदा अपलोड करने की अन्तिम दिनांक से पूर्व मूल निविदा शर्तों में परिवर्तन/संशोधन करने हेतु स्वतन्त्र होगी। निविदा की शर्तों में किए गए संशोधन/परिवर्तन मूल निविदा की शर्तों में सम्मिलित माने जाएँगे।



## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक/शिविरा/माध्य/प्रकाशन/निविदा/5677(II)/2019/ दिनांक:18.06.2019

- (6) विभाग न्यूनतम दरों की निविदा स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं। किसी भी निविदा या उसके किसी भी अंश को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार किया जा सकता है।
- (7) निविदादाता को निविदा प्रलेख के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर मय सील अंकित करना अनिवार्य है।
- (8) इच्छुक निविदादाता को ई-निविदा हेतु रजिस्ट्रेशन व प्रशिक्षण हेतु राजकॉम्प इन्फो सर्विसेस लिमिटेड जयपुर से सम्पर्क करना होगा। सम्पर्क हेतु दूरभाष संख्या-0141-4022688, हेल्प डेस्क से सुबह 10:00 बजे से सांय 06:00 बजे तक कार्य दिवसों में सम्पर्क किया जा सकता है।
- (9) राजकॉम्प की ई-मेल e-proc@rajasthan.gov.in तथा मैनेजिंग डायरेक्टर राजकॉम्प इन्फो सर्विसेस लिमिटेड, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर से भी सम्पर्क किया जा सकता है।
- (10) निविदा के सम्बन्ध में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के समस्त नियम/प्रावधान लागू होंगे।
- (11) निविदा के सम्बन्ध में अनुबन्ध, बैंक गारन्टी, दर स्वीकृति व कार्य आदेश नियमों में वर्णित शर्तों के अनुसार ही प्रारूप मान्य होंगे, क्रेता अधिकारी द्वारा निविदा दर दाता को निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध करवाए जाएँगे।

स्थान:-.....

निविदादाता के हस्ताक्षर

दिनांक:-.....

(नाम.....)

मय फर्म का नाम व सील

15     